

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास-श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

(1)- पंचायत निगरानी संख्या -171/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2023/198

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कमल पालडिया पुत्र बिरदीचन्द आयु 23 वर्ष जाति माली निवासी ग्रामरियां बड़ी तहसील रियां बड़ी जिला नागौर राजस्थान		1. ग्राम पंचायत रियां बड़ी पंचायत समिति रियां बड़ी जिला नागौर जरिये ग्राम विकास अधिकारीए ग्राम पंचायत रियां बड़ी जिला नागौर। 2. सरपंच, ग्राम पंचायत रियां बड़ी तहसील रियां बड़ी जिला नागौर 3. सुखदेव पुत्र रामलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी रियांबड़ी तहसील- रियांबड़ी, जिला नागौर (राजस्थान)

(2)- पंचायत निगरानी संख्या -98/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2024/106

एवम्

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत रियांबड़ी, पंचायत समिति, रियांबड़ी, तहसील रियां बड़ी, जिला नागौर, राजस्थान, मोबाईल न. 8003470370		सुखदेव पुत्र रामलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

उपस्थिति:-

1. प्रार्थी की ओर से राजपेरोकार उपस्थित ।
2. अप्रार्थी सुखदेव की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी उपस्थित ।

:: निर्णय ::

दिनांक :-12.02.2025

उपरोक्त दोनों प्रकरणों में प्रशगत सम्पति एक समान होने से निगरानी संख्या 171/2023 के अभिभाषक एवं प्रार्थी उपस्थित नहीं होने से तथा प्रकरण में राजकीय हित निहित होने से इनकी ओर से राजकीय पेरोकार को सुना जाकर इन दोनों निगरानियों का निर्णय एक साथ इस निर्णय से किया जाता है तथा निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों के संलग्न रखी जायेगी।

1. निगरानी संख्या 171/2023 अधीन धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी पुनरीक्षण याचिका प्रस्ताव/संकल्प संख्या-5 दिनांक 05.10.2021 जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के



Dr
कलक्टर नागौर

- द्वारा मिसल संख्या-219/2021-22 के जरिये पट्टा संख्या- 80 अप्रार्थी संख्या-3 के पक्ष में दिनांक 17.07.2022 को जारी दिनांक 15.09.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी संख्या 98/2024 धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरुद्ध पट्टा नम्बर 80 बुक नम्बर 2 मिसल संख्या 219/2021-22 दिनांक 17.07.2022 ग्राम पंचायत रियांबड़ी द्वारा जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु दिनांक 16.04.2024 को प्रस्तुत की गई हैं।
 3. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री सुखदेव की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी उपस्थित हुवे।
 4. प्रार्थी द्वारा निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 80 की प्रमाणित प्रति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर को सरपंच, ग्राम पंचायत, रियांबड़ी द्वारा लिखा गया पत्र दिनांक 08.04.2024 एवं तहसीलदार (भू0अ0), रियांबड़ी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर को इन पट्टों को भेजी गई जॉच रिपोर्ट पत्रांक/भू0अ0/23/2419 दिनांक 26.07.2023 की फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं।
 5. निगरानी मियाद प्रार्थना-पत्र पर वकील उभय पक्ष को सुना गया।

राजपैरोकार का कथन है कि प्रार्थना-पत्र फर्जकारी व मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा पट्टा प्राप्ति बाबत कोई इल्म पूर्व में निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत को नहीं रहा, क्योंकि सारी कार्यवाही सद्भावना में व अपने पदीय कर्तव्यों के श्रद्धापूर्ण निर्वहन में की गई थी, जिसका विधि संरक्षण करती हैं। हाल ही में ग्राम पंचायत रियांबड़ी निगरानीकर्ता को एक पत्र क्र.सं.जिपना/पंचायत/2024/9546 दिनांक 22.03.2024 को श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ), नागौर द्वारा जारी किया गया, जो निगरानीकर्ता को दिनांक 08.04.2024 को प्राप्त हुआ, जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा प्राथमिक तौर पर पट्टा विलेख को देखकर उक्त कथित गड़बड़ी होने में तथ्य प्रथम बार सामने आने से यह निगरानी जानकारी से अविलम्ब अंदर मियाद पेश की गई हैं, जिसे मयाद शुमार किया जाना उचित एवं न्याय संगत हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी श्री विक्रम जोशी का दौराने बहस कथन है कि इस पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को शुरू से जब पट्टा जारी किया गया तब से ही थी परन्तु अब अप्रार्थी को परेशान करने एवं राजनैतिक स्वार्थ के कारण यह निगरानी बिलम्ब का सही कारण नहीं दर्शाते हुए बहुत विलम्ब से पेश की गई हैं इसलिए यह निगरानी मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं निगरानी को अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

6. (1)- राजपैरोकार ने मूल निगरानी की बहस में निगरानी में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह तर्क दिया कि अप्रार्थी सुखदेव द्वारा एक आवेदन बाबत जारी करने पट्टा प्रस्तुत किया गया, जो आवेदन पट्टा के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि बाबत प्रस्तुत किया गया एवं उसी पृष्ठ पर पाड़ौस अंकन किये गये। जिस पर सद्भावना से सरसरी जांच कर पट्टा जारी किया गया। मगर बाद में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर एवं श्रीमान् तहसीलदार साहब, द्वारा जांच की गई जिसमें यह साबित हुआ कि उक्त पट्टा आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत को गुमराह रखकर व ग्राम पंचायत को मुगालते रखते हुए गलत जानकारी आवेदन में अंकित कर पट्टा जारी करवा लिया गया। तहसीलदार, रियांबड़ी की जॉच रिपोर्ट में यह जारी पट्टा आबादी भूमि में होना नहीं पाया गया हैं। प्रश्नगत पट्टा तथ्यों को



2
कलक्टर नागौर

छुपाकर व गलत तथ्य प्रगट कर प्राप्त किया गया होने से प्रारम्भतः शून्यकरणीय हैं। अतः पट्टा जेर निगरानी विधि व तथ्यों के विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य हैं।

पट्टा जेर निगरानी पंचायत एक्ट व पंचायती राज नियम 1996 के कायदों की अवहेलना करते हुए तथ्य छुपाकर वास्तविक तथ्यों को लोप कर प्राप्त किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य हैं।

ग्राम पंचायत के समक्ष जब पट्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तब प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि कहकर पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया गया था। मौका निरीक्षण के समय जल्दबाजी में सही रूप में मौका नहीं देखा गया एवं ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के अलावा भूमि रूपान्तरित भूमि का पट्टा जारी किया गया है जिसका अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अगर यह तथ्य तत्समय आवेदक अप्रार्थी जिन्हें इन तथ्यों की बखूबी जानकारी थी द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत करवा दिया जाता तो ऐसी सूरत में ग्राम पंचायत पट्टा जारी करने का निर्णय कतई नहीं लेती जिससे भी हस्तगत पट्टा निरस्त किये जाने योग्य हैं।

राजपरोकार का यह भी कथन है कि पट्टा जारी करने से पूर्व स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियम 147 के अनुसार प्रस्तावित भूमि के विक्रय/पट्टा के सम्बन्ध में पंचायत को अंतिम विनिश्चित करना होता है तत्पश्चात् ही नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित किये जायेंगे। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के द्वारा नियम 147 के अनुसार प्रस्तावित भूमि को विक्रय/पट्टा जारी करने या नहीं करने के सम्बन्ध में कोई अंतिम विनिश्चय किसी भी बैठक में नहीं किया गया है, जो पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर बाद प्रक्रिया किया जाना प्रस्तावित रहा था, किन्तु हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण, सारवान तथ्य उजागर हो जाने से निगरानी जैर पट्टा पेश की गई है। उक्त पट्टा प्रशासन गांवों के संग शिविर में राजस्थान सरकार द्वारा दी गई शिथिलताओं और अधिकतम आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से व सद्भावना से जारी करने हेतु कार्यवाही की गई, आबादी भूमि के संबंध में पट्टा विलेख ग्राम पंचायत केवल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकारिता के आबादी एरिया की भूमि के लिए ही जारी करने हेतु सक्षम है, किन्तु जानबूझकर अधिकारातीत रूप से तथ्य छुपाकर व ग्राम पंचायत को गुमराह कर वर्तमान प्रकरण में विवादित पट्टा प्राप्त किया गया है, जो इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य हैं।

ग्राम पंचायत, रियांबड़ी पंचायती राज अधिनियम 1994 से शासित एक स्थानीय निकाय है, किन्तु निगरानी पेश करते समय लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता भारत चुनाव आयोग द्वारा देश भर में लागू की गई है, जिससे नियमानुसार, विधि अनुसार किसी तरह की ग्राम पंचायत की बैठक तत्काल वर्तमान में आचार संहिता के अस्तित्व में रहते आहूत की जाना सम्भव नहीं थी, इस कारण यह निगरानी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना ही पेश की गई है, जो निगरानी स्वीकार फरमायी जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा हमें आवासीय भूमि का पट्टा आबादी की भूमि में ही जारी किया है, परन्तु अब सरपंच, ग्राम पंचायत अपने राजनैतिक उद्देश्य से इन पट्टा को खारिज करवाना चाहते हैं, जिन्हें उनको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए निगरानी खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी का दौराने बहस यह भी कथन है कि पट्टा का पंजीयन, पंजीयन कार्यालय में हो चुका है इसलिए विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय हो है। इसलिए भी यह निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज की जावें।



2
कालक्टर नागौर

7. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत,रियांबड़ी ने अप्रार्थी के नाम पट्टा संख्या 80, नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत जारी किया गया है। तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा पट्टो की जाँच कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू0अ0/23/2419 दिनांक 26.07.2023 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद्,नागौर को प्रस्तुत की हैं,जिसके संलग्न भू0अभिलेख निरीक्षक,रियांबड़ी एवं पटवारी हल्का,रियांबड़ी द्वारा की गई मौका जाँच रिपोर्ट दिनांक 25.07.2023 भिजवायी हैं,जिसकी फोटो प्रति इस पत्रावली के संलग्न हैं। जिसके अनुसार प्रश्नगत पट्टा खसरा नम्बर 810 किस्म गै0मु0 आवासीय प्रयो. में जारी करना पाया गया है। जिससे यह प्रकट है कि पट्टा आबादी की भूमि पर नहीं दिया जाकर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि में दिया गया,जिसका पट्टा रूपान्तरित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका है। ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत में निहित आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह पट्टा जारी किया है ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी संख्या 171/2023 एवं 98/2024 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत,रियांबड़ी द्वारा अप्रार्थी सुखदेव के हक में जारी पट्टा संख्या 80 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर, राजस्थान